मध्यप्रदेश शासन,

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

मंत्रालय

क्रमांक/एफ 5/1/2006/42–1 भोपाल, दिनांक, 10 मई–2007

//आदेश//

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत पोलीटेकनिक महाविद्यालय की अभिनव योजना ' **एकलव्य'** इस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है । प्रथम चरण में योजनान्तर्गत पोलीटेकनिक महाविद्यालय, झाबुआ एवं मण्डला में वर्ष 2006–2007 से स्थापित होगें । इस अभिनव योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य शासन के आदेश क्र./एफ 5/1/2006/42–1, दिनांक 16–10–2006 को जारी की गई है, के अन्तर्गत अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के संबध में निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. उक्त संस्था में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को निःशुल्क आवास की व्यवस्था, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, स्टेशनरी एवं ड्राइंग सामग्री का निःशुल्क प्रदाय अधिकतम रू 2000/–तथा पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय प्रति छात्र अधिकतम रू.2000/–प्रति सेमेस्टर ।
2. राजीव गांधी प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रवेशित छात्र के मान से राज्य शासन द्वारा की जायेगी ।
3. संस्था में प्रवेशित प्रति छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रू 1000/– के मान से सहयोग राशि दी जायेगी ।
4. **संस्था में कार्यरत् अमले को प्रोत्साहन राशि–**

   1– प्रथम श्रेणी के शिक्षक– रू 1000/– प्रतिमाह

   2– द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी– रू 500/– प्रतिमाह

   3–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी– रू 300/–प्रतिमाह
5. उपरोक्त संस्थाओं में सुविधाएं प्राप्त करने के लिए छात्र/छात्राओं के लिये निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना अनिवार्य होगी ।

5.1 ऐसे छात्र/छात्राओं के माता–पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोत से आय प्रतिवर्ष रूपये 1.80 लाख से अधिक न हो को कोई फीस एवं कोई छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

5.2 छात्र/छात्राओं को प्रवेश के पश्चात् छात्रावास में ही निवास करना अनिवार्य होगा तथा यह भी आवश्यक होगा कि छात्र /छात्राओं की संस्था में उपस्थिति प्रतिमाह 80 प्रतिशत से कम न हो । विशेष परिस्थितियां, यथा–बीमारी, विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने के लिए संस्था प्रमुख की लिखित अनुमति की अवधि को छोड़कर ।

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Adash for Baba & Kklavya Poly.doc

Scanned with CamScanner

5.3 उपरोक्त सुविधायें केवल एक पाठ्यक्रम के लिए देय होगी तथा पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक ही सुविधा दी जायेगी । यदि छात्र/छात्रायें समय पर सेमेस्टर में सफल नहीं होते हैं तो अतिरिक्त अवधि के लिए किसी तरह की राहत नहीं दी जायेगी तथा उन्हें छात्रावास में रहने की सुविधा इस शर्त पर दी जायेगी कि वे छात्रावास के रहने एवं भोजन इत्यादि के व्यय का भुगतान संस्था/छात्रावास के नियमों के अनुसार करेगा ।

5.4 अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा निर्धारित राजीव गांधी प्रौद्यौगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा तथा ऐसे छात्र/छात्रायें जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं अथवा अपना पाठ्यक्रम बीच में छोड़ देते हैं तो उनसे किए गए अनुबंध के आधार पर उन पर व्यय की गई राशि वापसी योग्य होगी । प्रत्येक छात्र/छात्रा को संस्था द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

5.5 संस्था में पदस्थ अमला जिसको अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जा रहा है उनके लिए भी उपरोक्त शर्ते लागू होंगी । यदि वे लम्बे अवकाश पर रहते हैं या अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हें तो जो प्रोत्साहन राशि निर्धारित है वह देय नहीं होगी , क्योंकि यह प्रोत्साहन राशि उनको शासन द्वारा निर्धारित सेवा से अतिरिक्त सेवा उपलब्ध कराने के प्रतिफल में दी जा रही है । सुविधायें देने हेतु प्राचार्य/संस्था प्रमुख सक्षम अधिकारी होगें ।

6. **उपरोक्त मदों में व्यय निम्नांकित बजट शीर्षो से विकलनीय होगा –**

6.1 **परीक्षा शुल्क एवं शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति–**

मांग संख्या 41–2203–तकनीकी शिक्षा (105) बहुशिल्प (पोलीटेकनिक) विद्यालय 0102–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (9236) एकलव्य पोलीटेकनिक संस्थायें, # 24 परीक्षा एवं प्रशिक्षण, 02–प्रशिक्षण ।

6.2 **भोजन व्यय–**

मांग संख्या–41–2203–तकनीकी शिक्षा (105) बहुशिल्प (पोलीटेकनिक) विद्यालय)–0102–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना–(9236)एकलव्य पोलीटेकनिक संस्थाये, # 34–सामग्री पूर्तियाँ 004–राशन का मूल्य/भोजन व्यय ।

6.3 **छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि–**

मांग संख्या 41–2203–तकनीकी शिक्षा (105) बहुशिल्प (पोलीटेकनिक)विद्यालय, 0102–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (9236) एकलव्य पोलीटेकनिक संस्थायें, # 41–छात्रवृत्तियां एवं वृत्तियां, 01–शिष्यवृत्ति ।

Scanned with CamScanner

64 **शिक्षक एवं अन्य अमलों को प्रोत्साहन राशि की पूर्ति –**

मांग संख्या 41–2203–तकनीकी शिक्षा (105) बहुशिल्प (पोलीटेकनिक) विद्यालय–0102–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (9236) एकलव्य पोलीटेकनिक संस्थायें, # 51–अन्य प्रभार ।

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की सहमति से जारी ।

(शमीम उद्दीन)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 5/1/2006/42–1, /भोपाल, दिनांक 10 मई– 2007

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर उनकी टीप क्रमांक–1066/PS/TWD/SCD/06, दिनांक 25.04.2007 के संदर्भ में सूचनार्थ
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
4. आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल ।
5. संचालक, तकनीकी शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
6. संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनायें, सतपुड़ा भवन भोपाल ।
7. प्राचार्य, शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, झाबुआ/मण्डला, मध्यप्रदेश
8. जिला कोषालय अधिकारी, झाबुआ/मण्डला, मध्यप्रदेश ।

09/05/07
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

Office of the Principal Government Polytechnic, JHABUA (M. P.) 457-661.

क्रमांक / लेखा / 07 / 388 झाबुआ, दिनांक 22/5/07

प्रति,

स्थापना शाखा / शैक्षणिक शाखा (संस्था) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

Rajesh 22/05/07

Principal,
Govt. Polytechnic, Jhabua

C:\Add Secy\Eklavya & Ambedkar Poly\Adash for Baba & Kklavya Poly.doc

Scanned with CamScanner